



2026:AHC:6007-DB

ए.एफ.आर.

जेल अपील संख्या 80 वर्ष 2022

राजेंद्र

...अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रत्यर्थी

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता: श्री प्रवीण कुमार मिश्रा, न्याय-मित्र

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता: श्री एस.के. ओझा, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र धारी सिंह

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-प्रथम

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह)

1. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 603/2015, मुकदमा अपराध संख्या 247/2015, धारा 302 भारतीय दंड संहिता से उत्पन्न, में पारित निर्णय दिनांकित 20.09.2019 और आदेश दिनांकित 23.09.2019 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा, विद्वान न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि यदि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपीलकर्ता जुर्माना अदा करने में चूक करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले के संक्षिप्त तथ्य

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताए गए मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती बबीता, पत्नी हरपाल सिंह, निवासी राखंडी, थाना देवबंद, जिला सहारनपुर ने एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि राजेंद्र सिंह, पुत्र स्वर्गीय सूबेदार सिंह (जिन्हें आगे "अभियुक्त-अपीलकर्ता" कहा जाएगा) अपनी पैतृक संपत्ति का अपना हिस्सा बेचना चाहता था, उसके इस कदम का उसके बच्चों के भविष्य की खातिर उसके पति हरपाल सिंह (जिन्हें आगे "मृतक" कहा जाएगा) द्वारा विरोध किया जा रहा था, इसी कारण अभियुक्त-अपीलकर्ता मृतक से द्वेष रखने लगा था और उसे गालियां दिया करता था। उसने मृतक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। दिनांक 28.04.2015 की शाम को अभियुक्त और मृतक के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद अभियुक्त वहां से चला गया। लगभग 09:30 या 10:00 बजे, अभियुक्त-अपीलकर्ता वापस आया और अपने पुराने घर में घात लगाकर बैठ गया, जैसे ही मृतक वहां पहुंचा, अभियुक्त-अपीलकर्ता ने बलकटी से उसके सिर और शरीर पर अंधाधुंध वार कर दिया। शोर सुनकर जब प्रथम सूचनाकर्ता घर से बाहर निकली, तो उसने देखा कि अभियुक्त उसके पति (मृतक) पर हमला कर रहा है। उसके चीखने-चिल्लाने पर उसके परिवार के सदस्य और गांव के अन्य लोग घटनास्थल पर दौड़कर पहुंचे। गवाहों को देखते ही, अभियुक्त "बलकटी" लेकर उत्तर दिशा की ओर भाग गया। उसके पति को सरकारी अस्पताल, देवबंद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल, सहारनपुर के लिए रेफर कर दिया; वहीं इलाज के दौरान चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

3. उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर, अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 247/2015 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया, जिसे जीडी में 12:20 बजे दर्ज किया गया।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, कानून ने अपना काम शुरू किया और मामले की जांच अभियोजन साक्षी-7, ब्रज मोहन यादव को सौंपी गई, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और सूचनाकर्ता—श्रीमती बबीता, मृतक की पत्नी, का बयान दर्ज किया; उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और गवाहों रामपाल तथा महिपाल के बयान भी दर्ज किए। उन्होंने घटनास्थल से सादी और खून से सनी मिट्टी भी इकट्ठा की, उसे सील किया और उसका एक मेमो तैयार किया। 03.05.2015 को, उन्होंने गवाहों राज कुमार, कुंवर पाल, मुकेश कुमार, हरिओम गुलशन, विजेंद्र सिंह, चिराग, बिट्टू, मोंटी, श्रीमती बेबी और श्रीमती अनीता के बयान दर्ज किए। 30.05.2015 को उन्होंने केस डायरी में पोस्टमार्टम अाख्या की नकल उतारी। 04.06.2015 को, उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसका बयान दर्ज किया। 07.06.2015 को, उन्होंने गवाहों अमित तोमर, राज कुमार, मांगे राम, अारक्षी प्रदीप कुमार और अारक्षी राजेंद्र सिंह के बयान दर्ज किए। उन्होंने हमले में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए एक नक्शा नजरी भी तैयार किया। जांच पूरी होने के बाद, जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अारोप पत्र दाखिल की, जिसे उन्होंने प्रदर्श क-11 के रूप में साबित किया।

5. अभियोजन साक्षी-7, ब्रज मोहन यादव, जो इस मामले के जांच अधिकारी हैं, ने अभियुक्त-अपीलकर्ता की निशानदेही पर, अभियोजन साक्षी-2 राज कुमार और अमित तोमर की मौजूदगी में, फूल सिंह ठाकुर के बेटे कुमरी के गन्ने के खेत की झाड़ियों से हमले में इस्तेमाल हथियार (बल्काटी) भी बरामद किया। अभियुक्त-अपीलकर्ता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने 28.04.2015 की रात को उसी बल्काटी से मृतक पर हमला किया था/उसे काटा था।

6. अारोप पत्र दाखिल होने के बाद, सहारनपुर के माननीय सत्र न्यायाधीश ने 14.09.2015 को अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप तय किए, जिन्हें अभियुक्त को हिंदी में पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया। हालाँकि, बाद में 10.01.2017 के आदेश के ज़रिए इन आरोपों में संशोधन किया गया।

7. अपीलकर्ता का दोष साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों की गवाही कराई। अभियोजन साक्षी-1, बबीता पहली सूचना देने वाली और मृतक की पत्नी है; अभियोजन साक्षी-2, राज कुमार इनक्वेस्ट (जांच) का गवाह और मृतक का भाई है; अभियोजन साक्षी-3 खून लगी और सादी मिट्टी की बरामदगी का गवाह है; अभियोजन साक्षी-4 HCP 197 मांगे राम है; अभियोजन साक्षी-5, डॉ. हेमंत रस्तोगी हैं, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया; अभियोजन साक्षी-6, मुख्य अरक्षी 43 नीता शर्मा हैं, जिन्होंने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की; और अभियोजन साक्षी-7, ब्रज मोहन यादव हैं, जो इस मामले के जांच अधिकारी थे और जिन्होंने आरोप पत्र दाखिल की।

8. अभियोजन साक्षी-1, श्रीमती बबीता प्रथम सूचक और मृतक की पत्नी हैं। उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दी गई बातों को दोहराया। उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्त-अपीलकर्ता को शक था कि मृतक के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं।

9. अभियोजन साक्षी-2, राज कुमार सिंह, सुबेदार सिंह के बेटे, ने अपनी मुख्य गवाही जो 11.09.2018 को दर्ज की गई थी में बयान दिया कि वह अपनी नौकरी के सिलसिले में देवबंद से बाहर रहते हैं। 28.04.2015 को, उन्हें टेलीफोन पर सूचना मिली कि राजेंद्र (आरोपी) ने अपने बड़े भाई हरपाल (मृतक) की 'बलकटी' से हत्या कर दी है। उन्होंने आगे बयान दिया कि हरपाल अभियुक्त के परिवार का भरण-पोषण करता था। आरोपी और अपीलकर्ता दोनों एक ही घर में अलग-अलग कमरों में रहते हैं। अभियुक्त राजेंद्र अपनी ज़मीन बेचना चाहता था, जिसका मृतक ने विरोध किया क्योंकि अभियुक्त ज़मीन बेचने के बाद शराब पीता था। उपरोक्त कारणों से अभियुक्त ने मृतक की हत्या कर दी। इस गवाह ने यह भी बयान दिया कि मृतक हरपाल के शव का पंचनामा उसकी मौजूदगी में किया गया था। उसकी राय में, मृतक की मौत का कारण 'बलकटी' से लगी चोटें थीं। उसने पंचनामा अाख्या पर अपने हस्ताक्षर भी किए। उसने कागज़ संख्या 9/1 और 9/2 पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किए। उसके अलावा, मुकेश, कंवर पाल, हरिओम और गुलशन ने भी पंचनामा अाख्या पर हस्ताक्षर किए।

10. अभियोजन साक्षी-3, चिराग कुमार, वेद पाल का बेटा, ने अपनी मुख्य गवाही में बयान दिया कि 28.04.2015 की रात को उसे सूचना मिली कि उसके चाचा राजेंद्र ने हरपाल को 'बलकटी' से चोटें पहुँचाई हैं और उसके परिवार के सदस्य घायल को सहारनपुर के अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाते समय, चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 29.04.2015 को पुलिस गाँव आई और सादी तथा खून लगी मिट्टी इकट्ठा की; उसका मेमो तैयार करने के बाद, उस पर उसके हस्ताक्षर लिए, जिसे उसने कागज़ संख्या 8/1 के रूप में प्रमाणित किया।

11. अभियोजन साक्षी-4, HCP 197 मांगे राम, ने अपनी मुख्य गवाही में, जो 19.03.2019 को दर्ज की गई थी, बयान दिया कि 28.04.2015 को वह थाना देवबंद में HCP के पद पर तैनात था। उस तारीख को, पुलिस थाना जनकपुरी, सहारनपुर से मिली सूचना के आधार पर, उसने मृतक का शव मुर्दाघर से लिया और पंचनामा करवाया। शव को सील करवाने के बाद, उसने अरक्षी राजेंद्र और अरक्षी प्रदीप के साथ उसे पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेज दिया।

12. अभियोजन साक्षी-5, डॉ. हेमंत रस्तोगी ने अपनी मुख्य गवाही में, जो 26.06.2019 को दर्ज की गई थी, बयान दिया कि 29.04.2015 को वे SBD ज़िला अस्पताल, सहारनपुर में एनेस्थेतिस्ट के पद पर तैनात थे। उस तारीख को उन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसे अरक्षी प्रदीप कुमार और अरक्षी राजेंद्र सिंह लेकर आए थे। चिकित्सक को मृतक के शव पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें मिलीं:

1. सिर के बाईं ओर, ठीक बाएँ कान के ऊपर, 16 cm x 2 cm का एक गहरा कटा हुआ घाव जो हड्डी तक पहुँचा हुआ था। बाईं पैराइटल और टेम्पोरल हड्डी टूटी हुई थी। घाव के किनारे साफ कटे हुए थे।

2. सिर के पिछले हिस्से में दाईं ओर, दाएँ कान से 2.5 cm पीछे, 12 cm x 1 cm का एक गहरा कटा हुआ घाव जो हड्डी तक पहुँचा हुआ था। दाईं टेम्पोरल और ओसिपिटल हड्डी टूटी हुई थी। घाव के किनारे साफ थे।

3. सिर के पिछले हिस्से में 9 cm x 2 cm का एक गहरा कटा हुआ घाव जो मस्तिष्क तक पहुँचा हुआ था; चोट संख्या 3, चोट संख्या 2 से जुड़ी हुई थी और इसके नीचे ओसिपिटल हड्डी टूटी हुई थी। घाव के किनारे साफ कटे हुए थे।
4. सिर के पिछले हिस्से में, C-7 कशेरुका से 8 cm ऊपर, 10 cm x 2 cm का एक गहरा कटा हुआ घाव जो हड्डी तक पहुँचा हुआ था; इसके नीचे ओसिपिटल हड्डी टूटी हुई थी। घाव के किनारे साफ कटे हुए थे।
5. कंधों के बीच के क्षेत्र में, गर्दन के आधार के ठीक नीचे, 6 cm x 1.5 cm का एक गहरा कटा हुआ घाव जो हड्डी तक पहुँचा हुआ था; घाव के किनारे साफ कटे हुए थे।
6. दाईं ऊपरी बांह के बाहरी हिस्से के ऊपरी भाग में, 4 cm x 2 cm का एक गहरा कटा हुआ घाव जो हड्डी तक पहुँचा हुआ था; घाव के किनारे साफ कटे हुए थे।
7. दाएँ कान के बाहरी हिस्से पर, 3 cm x 2 cm का एक गहरा कटा हुआ घाव जो आर-पार था।
13. चिकित्सक की राय में, मृतक की मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप हुआ आघात और रक्तस्राव था। चिकित्सक ने आगे यह राय दी कि मृत्यु के समय और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के समय के बीच का अंतराल आधा से एक दिन था।
14. अभियोजन साक्षी-6, मुख्य अाक्षी 43 नीता शर्मा, प्रथम सूचना रिपोर्ट की चिक लेखक और अभियोजन साक्षी-7, इंस्पेक्टर ब्रज मोहन, मामले के जांच अधिकारी, की गवाहियों पर पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है।
15. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद, अभियुक्त-अपीलकर्ता का बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया, उसने अपने ऊपर लगाए

गए आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की। उसने आगे कहा कि वह निर्दोष है और प्रथम सूचनादाता तथा मृतक ने अभियुक्त की पत्नी और बच्चों को अपने पक्ष में कर लिया था, और यह भी कि उनकी उससे पुरानी रंजिश है।

16. विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का आकलन, मूल्यांकन और सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद, अभियुक्त-अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसे उपर्युक्त अनुसार दंडादेश दिया।

17. इसलिए, यह अपील की गई है।

अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत दलीले

18. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान न्यायमित्र, श्री प्रवीण कुमार मिश्रा - जिन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांकित 02.05.2023 के आदेश के माध्यम से नियुक्त किया गया है, ने जोरदार ढंग से यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन साक्षी.-1 के बयान में कई विरोधाभास मौजूद हैं। विचारण न्यायालय ने, समस्त साक्ष्यों की जाँच करते समय, अभियोजन साक्षी.-1 के बयान में मौजूद विरोधाभासों पर विचार न करके एक गंभीर त्रुटि की है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष, अपीलकर्ता द्वारा मृतक की हत्या किए जाने के पीछे के मकसद को सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि इस घटना को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा उस इलाके के किसी अन्य स्वतंत्र गवाह की जाँच नहीं कराई गई है।

राज्य की ओर से प्रस्तुत दलीले

19. दूसरी ओर, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री एस.के. ओझा ने प्रस्तुत अपील का जोरदार विरोध किया और यह तर्क दिया कि अभियोजन साक्षी.-1 जो घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह, हैं के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है और यदि उनके बयान में कोई मामूली विरोधाभास आया भी है, तो वह संभवतः लंबे समयांतराल का परिणाम हो सकता है, क्योंकि उनके मुख्य परीक्षण

के दर्ज होने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद उनका प्रति-परीक्षण किया गया था, जो अभियोजन पक्ष की कहानी को नकारने के लिए पर्याप्त नहीं है।

20. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि शव-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर कुल सात चोटें पाई गई थीं; जिनमें से छह चोटें शरीर के अत्यंत संवेदनशील/महत्वपूर्ण अंगों पर थीं और एक चोट हाथ पर थी, इसके अतिरिक्त, मृतक को लगी ये समस्त चोटें किसी धारदार हथियार से पहुंचाई गई थीं; अतः, शव-परीक्षा में पाई गई चोटें भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करती हैं। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री ओझा ने आगे यह तर्क दिया कि हमले में प्रयुक्त हथियार ('बलकटी') अपीलकर्ता द्वारा बताए गए स्थान से ही बरामद किया गया था। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री ओझा ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर मौजूद समस्त साक्ष्यों पर समग्र रूप से विचार करने के उपरांत, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत लगाए गए अपराध को पूर्णतः सिद्ध करने में सफल रहा है, अतः, विचारण न्यायालय के निर्णय में किसी भी प्रकार की कोई अवैधता अथवा त्रुटि विद्यमान नहीं है, और यह अपील, जिसमें कोई सार अथवा औचित्य नहीं है, खारिज किए जाने योग्य है।

विक्षेपण और निष्कर्ष

21. हमने अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान न्यायमित्र श्री प्रवीण कुमार मिश्रा, राज्य की ओर से पेश विद्वान श्री एस.के. ओझा की दलीलें सुनीं और अभिलेख पर मौजूद सबूतों की जांच की।

22. अपीलकर्ता के विद्वान वकील की पहली दलील यह है कि अभियोजन साक्षी-1, बबीता के बयान में विरोधाभास है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह बताया है कि विचारण न्यायालय ने, सभी सबूतों की जांच करते समय, अभियोजन साक्षी-1 जिसे घटना की चश्मदीद गवाह बताया गया है, के बयान में मौजूद विरोधाभासों पर विचार न करके एक बड़ी गलती की है। उन्होंने यह भी बताया कि अपनी मुख्य गवाही में, अभियोजन साक्षी-1 ने कहा था कि उसकी चीख-पुकार सुनकर परिवार के अन्य सदस्य

भी मौके पर पहुँच गए थे और उन्होंने घटना को देखा था, जबकि अपनी जिरह में उसने कहा कि जब उसके परिवार के अन्य सदस्य वहाँ पहुँचे, तब तक अभियुक्त भाग चुका था। इसलिए, उसके बयान में विरोधाभास है और इस बात की पूरी संभावना है कि उसने घटना को नहीं देखा था।

23. गवाहों के बयानों में हमेशा कुछ सामान्य विसंगतियाँ हो सकती हैं। ये विसंगतियाँ समय बीतने और मानसिक स्थिति, जैसे कि घटना के समय लगे सदमे और दहशत के कारण होती हैं। गंभीर विसंगतियाँ वे होती हैं जो सामान्य नहीं होतीं, जो अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ पर ही सवाल उठाती हैं, और जिनकी उम्मीद किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं की जाती। इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा बताया गया यह छोटा-सा विरोधाभास अपीलकर्ता के लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभियोजन साक्षी-1, श्रीमती बबीता की मुख्य गवाही 08.12.2016 को दर्ज की गई थी, जबकि उसकी जिरह 04.05.2018 को हुई थी यानी मुख्य गवाही दर्ज होने के डेढ़ साल बाद और इसलिए, समय बीतने के साथ इस तरह का छोटा-सा विरोधाभास होना स्वाभाविक है।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य**, (2015) 3 SCC 220, मामले में, एक ऐसी स्थिति पर विचार किया था जहाँ एक गवाह ने अभियोजन पक्ष के अनुसार गवाही देने के बाद, लंबे समय तक सुनवाई स्थगित होने के कारण, जिससे हेर-फेर करने का मौका मिल जाता है, अपनी गवाही को पूरी तरह से बदल दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की:

"यह बताना ज़रूरी है, हालाँकि दुखद है, कि अभियोजन साक्षी-7 की मुख्य जाँच 30.09.1999 को हुई थी और उनकी जिरह 25.5.2001 को हुई थी, यानी लगभग 1 साल और 8 महीने बाद। जैसा कि हमने पहले कहा है, इस जिरह में हुई देरी ने कई कारणों से गवाही बदलने के लिए काफ़ी समय दे दिया था। एक निष्पक्ष सुनवाई ऐसी होनी चाहिए जो बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष, दोनों के साथ-साथ पीड़ित के लिए भी निष्पक्ष हो। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

के तहत दर्ज किसी अपराध की सुनवाई पूरी गंभीरता के साथ की जानी चाहिए। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि माननीय विचारण जज इस तरह के मामले में जिरह के लिए इतना ज्यादा समय देकर इतनी ढिलाई कैसे बरत सकते थे। विद्वान ट्रायल जज के लिए यह बिल्कुल उचित होता कि वे उसी दिन जिरह पूरी कर लेते जिस दिन उक्त गवाह की जाँच हुई थी। जैसा कि स्पष्ट है, बिना किसी कारण के इसे टाल दिया गया और जिरह 20 महीने बाद हुई। गवाह के पास पाला बदलने के लिए दुनिया भर का समय था। हमने पहले ही राय दी है कि उसे विरोधी घोषित कर दिया गया था और उसकी दोबारा जाँच की गई थी।”

25. उपरोक्त निर्णय का आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राजेश यादव और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2022) 12 SCC 200, में पालन किया गया।

26. इसके अलावा, अभियोजन साक्षी-1, श्रीमती बबीता के बयान में जो विरोधाभास है, वह बहुत ही मामूली प्रकृति का है, जो अभियोजन पक्ष की कहानी को नकार या ध्वस्त नहीं कर सकता। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि भले ही कुछ चूकें, विरोधाभास और विसंगतियाँ हों, पूरे सबूत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। सावधानी और सतर्कता बरतने के बाद, और सबूतों को छानकर सच को झूठ, अतिशयोक्ति और मनगढ़ंत बातों से अलग करने के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि क्या बचा हुआ सबूत अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, उन चूकों, विरोधाभासों और विसंगतियों को अनुचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो मामले के मूल तक नहीं जातीं और अभियोजन पक्ष के गवाहों के मूल बयान को नहीं हिलातीं। चूंकि किसी इंसान की मानसिक क्षमताओं से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे घटना के सभी विवरणों को पूरी तरह से याद रख पाएँगी, इसलिए गवाहों के बयानों में छोटी-मोटी विसंगतियाँ होना स्वाभाविक है।

27. **राजस्थान राज्य बनाम कल्की** (1981) 2 SCC 752, राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन साक्षी-1 बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखने वाली गवाह थी, क्योंकि वह मृतक की पत्नी थी, और उसके बयान में कुछ विसंगतियाँ थीं। उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ, राजस्थान

राज्य ने एक आपराधिक अपील दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और अभियुक्त को दोषी ठहराया। न्यायालय ने पैराग्राफ 5, 6 और 7 में निम्नलिखित अवधारित किया :

"5. जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्षी-1 की गवाही पर भरोसा करने से दो आधारों पर इनकार कर दिया: (1) वह एक 'बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखने वाली' गवाह थी, क्योंकि वह 'मृतक की पत्नी' थी, और (2) उसकी गवाही में कुछ विसंगतियाँ थीं। आदरपूर्वक, हमारी राय में, ये दोनों ही आधार अमान्य हैं। क्योंकि, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, वह एकमात्र और सबसे स्वाभाविक गवाह थी; घटना के समय वह झोपड़ी में मृतक के साथ मौजूद एकमात्र व्यक्ति थी, और एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिसने घटना को अपनी आँखों से देखा था। यह सच है कि वह मृतक की पत्नी है; लेकिन उसे 'दिलचस्पी रखने वाली' गवाह नहीं कहा जा सकता। वह मृतक से 'संबंधित' है। 'संबंधित' होने का मतलब 'दिलचस्पी रखने वाला' होना नहीं है। किसी गवाह को 'दिलचस्पी रखने वाला' तभी कहा जा सकता है, जब उसे किसी मुकदमे के परिणाम से कोई लाभ मिलता हो; जैसे किसी दीवानी मामले में कोई डिक्री मिलना, या किसी अभियुक्त को सजा मिलते देखना। कोई ऐसा गवाह जो स्वाभाविक हो, और मामले की परिस्थितियों में एकमात्र संभावित चश्मदीद गवाह हो, उसे 'दिलचस्पी रखने वाला' गवाह नहीं कहा जा सकता। इस मामले में, अभियोजन साक्षी-1 का असली अपराधी को बचाने में, और प्रतिवादियों को झूठा फँसाने में कोई हित या स्वार्थ नहीं था।

6. दूसरा आधार, जिस पर उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्षी-1 की गवाही पर भरोसा करने से इनकार किया, वह यह था कि उसकी गवाही में 'महत्वपूर्ण विसंगतियाँ' थीं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमने अभियोजन साक्षी-1 की गवाही को ध्यान से पढ़ा है। हमें उसकी गवाही में कोई भी 'महत्वपूर्ण विसंगति' नहीं मिली है। उच्च न्यायालय ने जिन विसंगतियों का जिक्र किया है, हमारी राय में, वे छोटी-मोटी, महत्वहीन, स्वाभाविक हैं और 'महत्वपूर्ण' नहीं हैं।" विसंगतियाँ इस बात को लेकर हैं कि किस अभियुक्त ने मृतक को ज़मीन पर किस हिस्से से दबाया और शरीर

के किस हिस्से पर बैठा; इस बात को लेकर कि क्या प्रतिवादी कल्कि ने मृतक को कुल्हाड़ी से तब मारा जब वह खड़ा था या ज़मीन पर लेटा हुआ था, और क्या वार सिर की तरफ से किया गया था या पैरों की तरफ से। गवाहों के बयानों में हमेशा कुछ सामान्य विसंगतियाँ होती हैं, चाहे वे कितने भी ईमानदार और सच्चे क्यों न हों। ये विसंगतियाँ देखने में होने वाली सामान्य गलतियों, समय बीतने के कारण याददाश्त में होने वाली सामान्य गलतियों, घटना के समय सदमे और दहशत जैसी मानसिक स्थिति, और इसी तरह की अन्य बातों के कारण होती हैं। गंभीर विसंगतियाँ वे होती हैं जो सामान्य नहीं होतीं, और जिनकी किसी सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जाती। जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमें अभियोजन साक्षी 1 के साक्ष्य में कोई भी गंभीर विसंगति नहीं मिली है।

7. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने दलील दी कि अपील में केवल सबूतों की जाँच-परख शामिल है और यह न्यायालय सबूतों की जाँच-परख से निकले तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील में, यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि तथ्यों के निकाले गए निष्कर्ष विकृति की सीमा पर हैं और उनके परिणामस्वरूप न्याय का हनन होता है, तो यह न्यायालय न्याय के हनन को रोकने के लिए ऐसे निष्कर्षों को रद्द करने से इनकार नहीं करेगा।”

28. राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्वित बनाम सरवनम और एक अन्य, (2008)17 SCC 587, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सबूतों की जाँच-परख करते समय, न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या विरोधाभास/चूकें इतनी बड़ी थीं कि वे मुकदमे को काफी हद तक प्रभावित कर सकें। अभियोजन पक्ष के मामले के मूल को प्रभावित किए बिना, छोटी-मोटी बातों पर मामूली विरोधाभासों, विसंगतियों, सजावट या सुधारों को सबूतों को पूरी तरह से खारिज करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। विचारण अदालत को, पूरे सबूतों को देखने के बाद, गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में एक राय बनानी चाहिए और

अपीलीय अदालत, सामान्य क्रम में, बिना किसी उचित कारण के उसी की फिर से समीक्षा करने के लिए न्यायसंगत नहीं होगी।

29. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम.के. एंथनी, (1985)1 SCC 505, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया:

"किसी गवाह के सबूतों की जाँच-परख करते समय, दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या गवाह के सबूत, जब पूरे तौर पर पढ़े जाते हैं, तो उनमें सच्चाई की झलक दिखाई देती है। एक बार जब यह धारणा बन जाती है, तो न्यायालय के लिए यह निस्संदेह आवश्यक हो जाता है कि वह सबूतों की और अधिक बारीकी से जाँच करे, विशेष रूप से पूरे सबूतों में बताई गई कमियों, खामियों और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए; और उनका मूल्यांकन करे ताकि यह पता चल सके कि क्या वे गवाह द्वारा दिए गए सबूतों की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं और क्या सबूतों का पहले किया गया मूल्यांकन इस हद तक हिल गया है कि वे विश्वास के योग्य नहीं रह गए हैं। मामले के मूल को न छूने वाली छोटी-मोटी बातों पर मामूली विसंगतियाँ; सबूतों में से यहाँ-वहाँ संदर्भ से बाहर निकाले गए वाक्यों को लेकर अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाना; या जाँच अधिकारी द्वारा की गई किसी ऐसी तकनीकी त्रुटि को महत्व देना जो मामले की जड़ तक नहीं जाती है—ये बातें आम तौर पर सबूतों को पूरी तरह से खारिज करने की अनुमति नहीं देंगी। अगर जिस अदालत के सामने गवाह ने गवाही दी है, उसे गवाह की गवाही के आम मिजाज के बारे में राय बनाने का मौका मिला था, तो अपील अदालत, जिसे यह फायदा नहीं मिला, उसे ट्रायल अदालत द्वारा गवाही के मूल्यांकन को उचित महत्व देना होगा; और जब तक कोई बहुत ही ठोस और मजबूत वजह न हों, तब तक छोटी-मोटी बातों में मामूली अंतर या कमियों के आधार पर गवाही को खारिज करना सही नहीं होगा। यहां तक कि ईमानदार और सच्चे गवाह भी मुख्य घटना से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी बातों में अलग राय रख सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की देखने, याद रखने और बताने की क्षमता अलग-अलग होती है। जिरह एक सीधे-सादे इंसान और एक माहिर वकील के बीच एक असमान मुकाबला होता है। इस गवाह की गवाही की जांच करने के बाद—जो परिवार का एक दोस्त और शुभचिंतक है—और प्रतिवादी

के वकील की टिप्पणियों को उचित महत्व देते हुए, साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा उसकी गवाही को खारिज करने की वजहों पर गौर करते हुए, और इसके साथ ही ट्रायल अदालत द्वारा इस गवाह की गवाही के मूल्यांकन को भी ध्यान में रखते हुए, हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उच्च न्यायालय ने गवाह नायर की गवाही को खारिज करके गलती की थी, हमें उसकी गवाही भरोसेमंद और विश्वसनीय लगती है।"

30. जहां तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की अगली दलील का सवाल है कि अभियुक्त के पास अपने भाई (मृतक) की हत्या करने का कोई मकसद नहीं था, तो यह बताना जरूरी है कि अभियोजन साक्षी-1, श्रीमती बबीता ने अपने बयान में कहा है कि अभियुक्त राजेंद्र अपनी पुश्तैनी जमीन बेचना चाहता था, जिसका मृतक विरोध कर रहा था। अभियोजन साक्षी-1, श्रीमती बबीता ने अपनी गवाही में यह भी कहा है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता को शक था कि मृतक के उसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध थे। अभियोजन साक्षी-2, राज कुमार सिंह—जो सूबेदार सिंह के बेटे हैं और अभियुक्त तथा मृतक के सगे भाई हैं—ने अपनी गवाही में कहा है कि अभियुक्त राजेंद्र अपनी जमीन बेचना चाहता था, जिसका मृतक विरोध कर रहा था, क्योंकि अभियुक्त जमीन बेचने के बाद शराब पीता था। इसी वजह से अभियुक्त ने मृतक की हत्या कर दी। अभियोजन साक्षी-1, श्रीमती बबीता और अभियोजन साक्षी-2, राज कुमार—दोनों के बयानों को देखते हुए—मृतक की हत्या का मकसद बिल्कुल साफ है।

31. अपील करने वाले के विद्वान अधिवक्ता की आखिरी दलील यह है कि गवाह मृतक के रिश्तेदार हैं और आस-पास का कोई भी अलग गवाह पेश नहीं किया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि घटना मृतक और अभियुक्त के घर में हुई थी, जिसे सिर्फ पहली सूचना देने वाली ने देखा था, जो मृतक की पत्नी है और मामले में अभियोजन साक्षी-1 के तौर पर उससे पूछताछ की गई है, इसलिए, आस-पास से गवाह पेश करने का सवाल ही नहीं उठता, जिसके बयान को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पूरा सपोर्ट मिलता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हत्या गवाहों को पहले से नोटिस देकर नहीं की जाती, अगर हत्या किसी घर में की जाती है, तो घर में रहने वाले लोग ही असली गवाह होते हैं, न कि आस-पास के गवाह।

32. **हरि ओबुला रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**, (1981) 3 SCC 675, में उच्चतम न्यायालय की तीन जजों की पीठ ने यह कहा है:

"यह अच्छी तरह से तय है कि ज़रूरी सबूत ज़रूरी नहीं कि भरोसे लायक सबूत न हों। यहां तक कि पक्षबाज़ी भी शपथ लेकर दी गई गवाही को बदनाम करने या खारिज करने का कोई सही आधार नहीं है, और न ही इसे एक पक्का नियम बनाया जा सकता है कि ज़रूरी सबूत कभी भी सज़ा का आधार नहीं बन सकते, जब तक कि अलग सबूतों से ज़रूरी बातों की काफी हद तक पुष्टि न हो जाए।"

33. **जुन और अन्य बनाम राजस्थान राज्य**, 1994 सप्लिमेंट (1) SCR 616 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया:

"हम ऊपर बताई गई इस दलील से सहमत नहीं हैं कि या तो दुश्मनी की वजह से या रिश्ते की वजह से, गवाहों ने सच नहीं बताया, बल्कि अपील करने वालों के खिलाफ झूठा मामला बनाया। इस बात पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि दुश्मनी एक दोधारी तलवार है जो दोनों तरफ से काट सकती है। लेकिन, सच तो यह है कि सरकारी गवाह चाहे मृतक पीड़ित के करीबी रिश्तेदार हों या हत्या के जुर्म में मृतक के साथ दुश्मनी वाले हों, गवाह हमेशा यह देखना चाहते हैं कि जुर्म के असली अपराधियों पर केस दर्ज हो और उनसे किसी भी हालत में यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे असली दोषियों को छोड़कर सिर्फ दुश्मनी की वजह से बेगुनाह लोगों को फंसा दें। इसलिए, सिर्फ इस आधार पर उनकी गवाही को खारिज करना सुरक्षित नियम नहीं है कि शिकायत करने वाले और अभियुक्त लोगों के बीच दुश्मनी थी। इसी तरह, सिर्फ गवाहों और मृतक के बीच रिश्ते के आधार पर सबूतों को खारिज नहीं किया जा सकता।"

34. **मनो दत्त बनाम यू.पी. राज्य** (2012), में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया:

"अक्सर, ऐसे मामलों में जिनमें दोनों पक्षों के परिवार के सदस्य शामिल होते हैं, परिवार का कोई सदस्य या कोई दोस्त ही घायल व्यक्ति को बचाने के

लिए आगे आता है। केवल यही लोग ऐसे झगड़े में कूदकर और संकट को टालने की कोशिश करके खुद घायल होने का जोखिम उठाते हैं। इसके अलावा, जब गवाहों के बयान जो रिश्तेदार हैं, या पीड़ित पक्ष के परिचित हैं विश्वसनीय, भरोसेमंद, कानून के अनुसार स्वीकार्य हों, और अन्य गवाहों या अभियोजन पक्ष के दस्तावेजी सबूतों से उनकी पुष्टि होती हो, तो अदालत के पास ऐसे सबूतों को केवल इस आधार पर खारिज करने का शायद ही कोई कारण होगा कि गवाह परिवार का सदस्य था, या कोई 'हितबद्ध गवाह' था, या पीड़ित पक्ष का कोई परिचित व्यक्ति था। ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ ऐसे गवाहों की जाँच करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि, जिस तरह से घटनाएँ घटीं, वे ही घटना का पूरा ब्योरा देने के लिए स्वाभाविक या एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी उपलब्ध थे।"

35. इसके अलावा, अभियोजन साक्षी-1, श्रीमती बबीता से लंबी जिरह की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे उनके बयान को अविश्वसनीय माना जा सके।

36. अपीलकर्ता ने अपने भाई की नृशंस हत्या की है। घटना स्थल पर प्रथम सूचनादाता जो मृतक की पत्नी है की उपस्थिति स्वाभाविक थी, क्योंकि यह घटना मृतक और अपीलकर्ता के ही घर में घटी थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों की पुष्टि शव परीक्षण रिपोर्ट से पूरी तरह होती है। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्त-अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है, जबकि असली अपराधी बिना किसी सज़ा के बच निकलें।

37. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 603/2015, मुकदमा अपराध संख्या. 247/2015, धारा 302 भारतीय दंड संहिता से उत्पन्न, में पारित दिनांकित 20.09.2019 के निर्णय और दिनांकित 23.09.2019 के आदेश में कोई भी अवैधता या विकृति नज़र नहीं आती। परिणामस्वरूप, यह अपील खारिज की जाती है।

38. अपीलकर्ता इस समय जमानत पर है। उसकी जमानत रद्द की जाती है और उसके जमानतदारों को दायित्व-मुक्त किया जाता है। उसे निर्देश दिया जाता है कि वह

विचारण न्यायालय द्वारा सुनाई गई शेष सज़ा को भुगतने के लिए, चार सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करे।

39. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति, इस मामले के अभिलेख के साथ, तत्काल अनुपालन हेतु संबंधित न्यायालय/विद्वान सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर को अविलंब प्रेषित करे, और अनुपालन अाख्या इस न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

(न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम) (न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह)

9 जनवरी 2026

अतुल/इशरत